REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2018

शिक्षा एवं दृढ़ विश्वास से संभव है महिलाओं का सशक्तिकरण

डॉ. कुमारी रीना बाला
पीएच0डी0

शब्द कुंजी :
गौरवपूर्ण, प्रतिस्थापित, अंतर्राष्ट्रीय, उद्घोषणा, पितृसत्तात्मक, लोकतांत्रिक, मध्यवर्गीय, परिलक्षित, हस्तान्तरित, सशक्तिकरण

परिचय :

नारी की प्राचीन समाज में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यद्यपि संवैधानिक रूप से स्त्री–पुरुष समानता के सिद्धान्त को प्रतिस्थापित किए जाने तथा इस संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणाओं के बावजूद हमारे देश में पितृसत्तात्क समाज में सामान्यतया नारियों के लिए बराबरी का स्थान प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। इसी संदर्भ में नयी शताब्दी में भारतीय संघ के एक प्रमुख राज्य बिहार में लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत संरचनाओं में मध्यम वर्गीय शिक्षित महिलाओं की समाज में भूमिका सुनिश्चित करने के लिये उठाये गए प्रयासों का एक तुच्छ प्रयास प्रस्तुत आलेख द्वारा करने की चेष्टा की गई है।

वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या है महिलाओं में शिक्षा का अभाव। अशिक्षित या कम पढ़ी–लिखी महिलायें पंचायती राज व्यवस्था या नगर निकायों में कार्य करने में अपने को असहज पाती हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपने परिवार के दूसरे सदस्यों या सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहने को बाध्य हो जाती है। यद्यपि सोच में बदलाव आया है। अब महिलायें अपने अधिकरों को समझने लगी हैं और सशक्तिकरण की परिभाषा उनकी समझ में आने लगी है। सशक्तिकरण का अभिप्राय है – महिलाओं का हर क्षेत्र में शक्ति प्रदान करना। मध्यम वर्गीय महिलायें घर की दहलीज को पार कर सामाजिक क्रिया– कलापों में अपनी भागीदारी निभाने को अति उत्साहित हो रही है और इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग में परिलक्षित होने लगा है।

स्पष्ट रूप से महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि सभी क्षेत्रों में सशक्त होना जैसे शिक्षा का प्रभावी प्रबंध, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, महिलाओं को आर्थिक रू‍प से आत्मनिर्भर बनाना, कौशल विकास कर क्षमताओं को बढ़ाना, स्वरोजगार बढ़ाने का कारगर हथियार, स्वयं सहायता समूह, कृषि क्षेत्र में रोजगार, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग, पर्यटन में रोजगार, परम्परागत पारिवारिक रोजगार, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता इत्यादि।

सांवैधानिक प्रावधान :

भारतीय संविधन में स्त्री–पुरुषों को समान अधिकार दिये गये हैं परन्तु सामाजिक चेतना के अभाव के कारण ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। चाहे वे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या राजनैतिक हों। परन्तु बीसवीं सदी से महिलाओं में एक चेतना का जन्म हुआ और उनके सशक्तीकरण में कई आन्दोलन सक्रिय हुए जिनका परिणाम अनेकों महत्वपूर्ण आयोगों के गठन एंव राजनैतिक भागीदारी की क्रिया में देखा गया।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कोई नयी नहीं है। यह सभी समाजों में सदा से हो रही है लेकिन महिला सशक्तिकरण को एक विचारधारा के रूप में देखा जाना और इसे एक सामाजिक आन्दोलन के रूप में

इस्तेमाल किया जाना और जनसाधारण में इसका विस्तार इत्यादि तथ्यों को नया समझा जा सकता है। यह महिला कल्याण से महिला विकास और महिला विकास से महिला सशक्तिकरण का रूप ले चुका है तथा इसकी चर्चा रिर्पोटिंग और आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोंच वाला बनाया है ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हों और विकास कार्यो में भी उनकी भागीदारी हो सकें। एक सशक्त महिला को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए समर्थ होना चाहिए। इस समर्थता के भागीदारी संविधान में अनेक विधानों का निर्माण किया गया है।

भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं में महिलाओं के लिए वैधिक तथा वास्तविक समानता तथा अन्य अधिकारों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में महिलाओं को सशक्त करने, लैंगिक समानता और भेदभाव से बचाव के लिये कई धाराओं की रचना की गई है। उनमें विशेष रूप में निम्नांकित प्रावधान है :– अनुच्छेद– 14, अनुच्छेद–15, अनुच्छेद–16, अनुच्छेद–39 ई तथा एफ, अनुच्छेद–42, अनुच्छेद–44, अनुच्छेद–51ए–ई, इत्यादि। संवैधानिक प्रावधानों की अनुरूपता में सरकार ने महिलाओं की रक्षा और उनकी परिस्थिति में सुधार के लिऐ विशेष कानूनों को लागू किया है। जो इस प्रकार है – विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 1976, हिन्दू दतक एवं निर्वाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उतराधिकार कानून अधिनियम, 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, और समान पारिश्रमिक कानून 1976, गर्भपात अधिनियम, 1971, साथ ही प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरूप्योग, नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम– 1994 इत्यादि।

विश्लेषण :

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में भी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अर्थात् महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय–समय पर नीतियों का निर्माण किया है। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया है। 2006 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास की देखरेख करने वालीप्रमुख एजेंसी के रूप में योजनाएं, नीतियों और कार्यक्रम तैयार करता है, महिलाओं के बारे में कानून बनाता है और उनमें संशोधन करता है और महिलाओं को विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के संगठनों के प्रयासों का दिशा–निर्देशन और समन्वय करता है। इसके अलावा विभाग महिलाओं के लिए कुछ अभिनव कार्यक्रमों को भी लागू करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, रोजगार और आमदनी बढ़ाने कल्याण और सहायक सेवाओं तथा जागरूकता पैदा करने और महिलाओं में चेतना जगाने के क्षेत्र में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों का अंतिम उदेश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। भारत में ग्रामीण महिलाओं के विकास, उनमें रोजगार संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके प्रभाव के परिणामस्वरूप समाज में आज महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार है – समेकित बाल बिकास परियोजना, स्वयंसिद्धा, महिला विकास निगम, स्वशक्ति परियोजना, पूरक पोषण आहार योजना, गोद भराई योजना, स्वावलंबन, स्वाधार, स्वयं सहायता समूह, कामधेनु योजना एवं पंचधारा योजना के साथ ही अति गरीब महिलाओं के प्रसव–पूर्व सहायता राशि, प्रसव परिवहन एवं उपचार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किशोरी दिवस योजना, प्राथमिक भाला में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं को गणवेश, गांव की बेटी योजना, साइकिल प्रदान योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अनुसूचित जाति कन्या विवाह के लिए ''सौभाग्यवती योजना'' समस्याग्रस्त महिलाओं की सहायता इत्यादि है।

महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनना। परन्तु व्यापकता में इसका अभिप्राय सता प्रतिष्ठानों एंव जीवन के सभी क्षेत्रों मं साझेदारी से है। महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोवी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में केरल अपना पहला स्थान बनाए रखा हैं। बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास दर 14 प्रतिशत प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) ने महिला सशक्तिकरण के 20 वर्ष पूरे किए हैं। जिसका गठन 1992 को एन सी डब्ल्यू अधिनियम 1990 के अनुसरण में एक संविधानिक निकाय के रू॰ में किया गयाथा। इसकी उपलब्धियाँ :– घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं को सुरक्षा दिलाने हेतु कार्यान्वयन। दिल्ली पुलिस के साथ 2008 में हस्तान्तरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत घर बचाओ परिवार बचाओ परियोजना शुरू की गयी थी। जिसकी अवधि बढ़ाकर 30 मार्च 2012 तक कर दिया गया था।

महिला सशक्तिकरण हेतु अपनाई गयी नीतियों में ग्राम पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गयी है। कुछ राज्यों में यह हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अपनायी गयी रणनीतियों में तकनीकी किट और मिडिया के विभिन्न साधनों के उपयोग की रणनीति का विकास और जनसंचार साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इसके साथ राजनीतिक दलों को भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए परन्तु हमारे पुरुष प्रधान संस्कृति और समाज में ग्रामीण भारत के पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है, तो सशक्तिकरण का सही मायने में सवाल ही नहीं है।

अतः महिला सशक्तिकरण से ही लिंग संतुलन एवं समाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी इस प्रकार महिला सहभागिता और सशक्तिकरण भविष्य में अधिक सक्षम एवं विश्वासनीय हो सकेगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और हम सबका दायित्व है कि इसमें हम अपनी पूर्ण सहभागिता दर्ज करे ताकि हमारा समाज सशक्त हो सके।

अनछुए पहलू :

महिला सशक्तिकरण की बात उठते ही मस्तिष्क चिंतन करने लगता है कि क्या वास्तव में महिला कमजोर है जो उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता है। प्रकृति ने तो उसे शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला बनाया है और वह सुष्टि की रचना भी करती है। उसकी शक्ति संपन्नता ने ही भारतीय समाज में उसे देवी की संज्ञा दिलवायी है। वैदिक युग में नारी के विषय में कहा जाता था– नर नारी प्रोद्दरति मज्जंत भववारिधौ, अर्थात् संसार रूपी समुद्र में डूबते नर का उद्धार नारी करती है, तो नारी कमजोर कैसे ? नारी ही माता के रूप में पुरुष को जन्म देकर, सुसंस्कारित कर एक सफल मानव बनातीहै, उसमें राष्ट्र–प्रेम की भावना भर कर देश भक्त बनाती है। और पूर्वजों के अदम्य साहस, शौर्य एंव परिश्रम की गाथा सुनाकर उन्हें साहसी, परिश्रमी और वीर बनाती है। फिर समाज में इनको दोयम दर्जा क्यों ? यह यक्ष प्रश्न है।

महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति के साथ ही राष्ट्रीय महिला मंचो सहित कई महिला आयोग जैसे कदम भी उठाये गये हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और महिला मंचों सहित कई महिला संगठनों की ओर से दबाव के बाद वर्ष 1996 में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन पेश किया गया था। इस संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है। किन्तु यह विधेयक अब तक लंबित है।

वास्तव में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कोई एक तरीका नहीं है। सार्थक सशक्तिकरण के लिए क्षेत्रीय अथवा स्थानीय संदर्भ में एक सृजनात्मक सोच की जरूरत है। प्रस्तुत आलेख में उपरोक्त तथ्यों की बारीकी से छानबीन करने की कोशिश की गई है।

नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि –

''मुझे एक योग्य माता दे दो मैं तुमको
एक योग्य राष्ट्र दूँगा।''

किसी भी समाज का स्वरूप वहां की स्थिति पर निर्भर करता है यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। यदि महिलाओं की स्थिति को भारतीय संदर्भ में देखें, तो हम पाते हैं कि प्राचीनकाल में समाज में उसकी स्थिति काफी अच्छी थी। सभी सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता थी धीरे–धीरे उसकी स्थिति ह्रास हुआ और आज स्थिति यह है कि हम नारी सशक्तिकरण की चर्चा कर रहे हैं।

कवि दुष्यंत के शब्दों में –

एक चिंगारी कहीं से ढूँढ लाओ दोस्तो!

इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है!!

जब हम समतापूर्ण समाज का समर्थन करते हैं तो नारी को इस परिधि से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वह इसी समाज का हिस्सा है। हम देश एवं समाज के विकास की बात करते हैं, तो क्या आधी आबादी को उपेक्षित रखकर कोई विकास सम्भव हैं ? नारी सशक्तिकरण राष्ट्रीय नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की आवश्यकता है। महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिए जाने के बावजूद भी महिलाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी है। आज महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और अपनों के द्वारा ही शोषण एवं अत्याचार का शिकार है। 21वीं सदी महिलाओं कीसदी मानी जा रही है, किन्तु यह बात तभी सच साबित होगी जब महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और उसके अधिकारों का ग्राफ ऊँचा उठेगा, किन्तु ऐसा तभी सम्भव है जब पुरुष की मानसिकता एवं दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था– ''भारत की महिलाओं पर मुझे गर्व है। मुझे उनके सौदर्य, आभा, आकर्षण, लज्जा, शालीनता, बुद्धिमता और त्याग की भावना पर नाज है। मैं सोचता हूँ कि यदि भारत की भावना का सही मायने में कोई प्रतिनिधत्व कर सकता है तो वे भारत की महिलाएं ही हो सकती हैं, पुरुष नहीं। प्रस्तुत आलेख इसी ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डाल रही है।

''महिला सशक्तिकरण के इस युग में अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सभी महिलाओं को अपने अधिकारों की समुचित जानकारी हो जिससे अपने सर्वागीण विकास को स्वयं– सुनिश्चित कर सके।'' ताकि समाज में अपनीएक पहचान कायम कर सके।

वर्तमान समय में शिक्षित महिलाऐं पुरुषों की बराबरी हर क्षेत्र में कर पा रही है। इसमें रूकावट केवल उन्हें दिये जा रहे मौंको की है। जहां महिलाओं में राजनीतिक, विज्ञान रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान जैसे जटिल एवं सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों में एक से बढ़कर साहसिक एवं अनुकरणीय कार्य किये है। बल्कि यह भी दर्शाया है कि परिवार एवं कार्य को किस प्रकार संतुलित कर सकारात्मक परिणाम दिये जा सकते हैं। महिला अपने जीवन के विभिन्न पहलूओं में भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट भूमिका निर्वाह करती है तथा कई प्रकार से वह कदम–कदम पर परिवार कल्याण का कार्य करती हैं। महिला के विभिन्न स्वरूपों में सर्वोतम स्वरू ममतामयी, माँ करूणा व दया की प्रतिभूति के रूप में माना गया है। अपने घर परिवार को एक सूत्र में पिरोने का कार्य अपने घर को मंदिर के रूप में पुजने की भूमिका का निर्वहन तथा घर में प्रत्येक सदस्य की इच्छित एवं अपेक्षित चाह की पूर्ति यदि किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह एक महिला ही होती है। आज के सभ्रांत समाज में हमे महिला समाज सेविका, शिक्षा क्षेत्र, नौकरी स्वरोजगार से सम्बद्ध क्रियाशील महिला, राजनीतिज्ञ तथा सर्वोपरि रूप से एवं कुशल गृहणी के रूप में अपेन दायित्वों की पूर्ति करती हुई दिखाई देती है।

महत्व :

परिवार कल्याण की अवधारणा को मूर्तरू देने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं अनिवार्य आवश्यकता है एक शिक्षित स्वस्थ और सामाजिक सरोकारो वाले देश एवं समाज नितान्त जरूरी है। हमे विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के साथ किये जा रहे भेद भाव को समाप्त करना होगा और समाज को जागरूक करना होगा। अगर महिलाओं की अंतनिर्हित शक्तियों का सकारात्मक उपयोग हो सके तो इस समाज को विकसित बनने से कोई भी रोक नहीं सकेगा।

महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार का सम्यक उपयोग कर समाज में महिलाओं में व्याप्त कुरूतियों और स्वेछाचार को मिटाया जा सकता है। यह शिक्षा के द्वारा हीसंभव है शिक्षा ही वह ब्रह्मास्त्र है जिसके बलबूते पर वह चहुँमुखी विकास कर सकती है तथा अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्य करसकती है। तभी महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को सफल बनाया जासकता है। जिससे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा जो हमारे प्राचीन ऋषि–मुनियों का स्वप्न रहा है– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः।

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेद–भाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों का पुनर्वलन किया जाता हैं ताकि वे अपने अर्न्तमुखी स्वभाव से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके।

यह प्रयास उनकी योग्यताओं का प्रसार करता हैं ताकि उन्हें अभिरूचि पसंद नापसंद को जाना जा सके। पुराने जमाने से महिलाएं सिर्फ चाहरदीवारी में ही रहा करती थी। उन्हें सिर्फ घर के काम काज और परिवार एवं बच्चों को ही सम्भालना उनका काम होता था। पुरुषों को महिलाओं को बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसन्द नहीं था। लेकिन आज के आधुनिक युग में महिलाएं बाहर जाकर काम करती है और साथ ही साथ अपने परिवार एवं बच्चों को जिम्मेवारियां बखूबी उठाती हैं और उसे अच्छी तरह निभाती भी है। आज के इस महंगाई के दौर में पति–पत्नी दोनों को काम करना जरूरी है। जिससे वह अपने बच्चों एंव परिवारों की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा कर सकें। आज की महिलाओं परिवार चलाने के अलावा कई क्षेत्रों में अपने योग्यताओं के झण्डे गाड़ चुकी हैं। जिससे हमारा देश विकसित देश कहलाता है। कहा भी गया है कि जिस परिवार की एक महिला शिक्षित हो वो पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। इसी परिपेक्ष्य में सरकार ने भी महिलाओं के सहायता के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं जिसमें उन्हें पुरुषों के समकक्ष माना है इसलिए उन्हें सरकारी कार्यो में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। ताकि उन्हें किसी भी तरह पुरुष से नीचे ना समझा जाए और उन्हें सामाजिक न्याय एवं पुरुष महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उदेश्य महिलाओं की प्रगति विकास एवं आत्मशिक्ति को सुनिश्चित करना हैं।

अतः महिलाओं के पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक वातावरण का सृजन, करना, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवस्था एवं प्रथाओं में परिवर्तन करना, विकास प्रक्रियाओं में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना, महिलाओं तथा बालिकाओं के भेदभाव का उन्मूलन करना महिला सशक्तिकरण की पहली प्राथमिकता हैं।

महिला की सकारात्मक छवि को बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग को देहेज जैसी कुप्रथा और महिला उत्पीड़न के विरूद्ध होना चाहिए। क्योंकि मुख्यतः इन्हीं बुराईयों के कारण माता–पिता पुत्री के जन्म को अभिशाप मानने लगते हैं इस प्रयास में महिला और पुरुष दोनों को शामिल होना होगा इसके लिए स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, युवक, मंडलों, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों और राजनीतिक दलों के स्तर पर एक व्यापक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। साथ–ही साथ कानून प्रावधानों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। सरकार भी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में केवल कानूनी नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बराबरी का अधिकार देकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं इस प्रकार उपर्युक्त प्रयासों से हम महिला उत्पीड़न को रोकने में कामयाब हो सकते हैं।

नारी सशक्तिकरण मौजूदा दौर का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा ही नहीं आज के दौर की मांग भी है। दरअसल यह जागरूकता कई शताब्दियों पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस दिशा में कई प्रयास होते रहे हैं। लम्बे संघर्ष के बाद 70 के दशक में इन प्रयासों को तब नई दिशा मिली, जब सामने कई चौंकाने वाली जानकारियाँ उजागर हुई। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में लिंग आधार पर बढ़ती विषमताएं, निर्णय निर्माण में भागीदारी न के बराबर होना, महिलाओं के विरूद्ध अपराध की जनसंख्या में निरंतर बढ़ती दर एवं निरंतर घटता लिंग अनुपात इत्यादि।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई तरीकों को अपनाया गया। कई योजनाएं एवं कार्यक्रमों की उद्घोषणा की गई। जैसे– स्वयं सिद्धा व स्वधारा इत्यादि।

समय बदला, तरीके बदले परन्तु आज भी वह बरकरार है और उदेश्य हो महिलाओं की प्रगति। कल समाज कल्याण के अंतर्गत इसके लिए प्रयास किया जा रहा था और आज इसे सशक्तिकरण के जरिये। मैं जहां तक समझती हूँ महिला सशक्तिकरण के दो ही मुख्य पक्ष होने चाहिए :

1. स्त्रियों के अस्तित्व का अधिकार
2. समाज द्वारा उन अधिकारों को स्वीकारा जाना

महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे– शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित होनी चाहिए। जिससे पूरे समाज में जागरूकता आयेगी। इससे लोगों को सोच बदलेगी, समाज में फैली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, पुत्र को प्राथमिकता देना, भ्रूण हत्या, इत्यादि को समाप्त करना होगा।

10 अप्रैल 1930 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा था 'नारी को अबला कहना अधर्म है यह महापाप है' नारी को किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास विशाल शक्ति है वह किसी

से कम नहीं है। यह पंक्ति आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है कि नैतिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति बड़ी से बड़ी भौतिक शक्ति को परास्त करने का सामर्थ्य रखती है। महिलाएं जब तक अपनी क्षमता, शक्ति को आत्मविश्वास को नहीं पहचानेगी तब तक कोई बाहरी शक्ति सशक्त नहीं बना सकती। यह तो स्वयं के आस्था मानवीय मूल्य और दृढ़ विश्वास से संभव है। अतः शिक्षा एवं दृढ़विश्वास महिलाओं को सशक्त करती आ रही है और करती रहेगीं।

संदर्भ सूची :

1. महिला सशक्तिकरण, 16 Jan, 2020, hindi.theindianwine.com
2. भारत में महिला सशक्तिकरण, Aug, 24, 2018, Jagranjosh.com
3. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, wcd.nic.in.
4. बेटियों का अधिकार, 03 Aug, 2019, m.economictimes.com
5. महिला सशक्तिकरण : कानून और संविधान, 08 Apr., 2017 Lokbharat.in
6. महिला सशक्तिकरण और उपाय, 13 Sep 2016, dhanuk.com
7. महिला सशक्तिकरण की ओर पहली छलांग, 12 March 2010, www.bbc.com